संख्या-2/2015/3762/86-2014-278/2011

प्रेषक,

डा0 गुरदीप सिंह,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म,
उ0प्र0 शासन।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग लखनऊ दिनांक 12 नवम्बर, 2014

विषय- उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली, 1963 (यथा संशोधित) के अन्तर्गत स्वास्थानें किस्म (in situ) के खनिज निक्षेपों के खनन पट्टों के नवीनीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1287/एम-1ए-15/ दिनांक 14-11-2014 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली, 1963 (यथा संशोधित) के अन्तर्गत स्वास्थानें किस्म (in situ) के खनिजों निक्षेपों के खनन पट्टों के नवीनीकरण हेतु जिलाधिकारियों द्वारा निम्नलिखित बिन्दुओं पर शासन को आख्या उपलब्ध करायी जायेगी :-

1- पट्टा क्षेत्र का विवरण।
2- पट्टाधारक का विवरण।
3- पट्टे की मूल अवधि।
4- पट्टेधारक के विरूद्ध कोई अवैध खनन का प्रकरण संज्ञान में आया हो तो उसका विवरण और इस सम्बन्ध में लिया गया निर्णय।
5- पट्टाधारक के विरूद्ध खनन देय का बकाया।
6- पट्टा अवधि में पट्टाधारक का आचरण।
7- पट्टाधारक के पक्ष में वर्तमान में स्वीकृत/प्रचलित अन्य पट्टों का विवरण यथा संख्या व रकबा, यदि कोई हो।
8- पट्टा क्षेत्र में किसी तीसरे पक्ष का अधिकार सृजित है अथवा नहीं।
9- अन्य कोई महत्वपूर्ण तथ्य।
10- विभागीय अधिकारी की स्पष्ट संस्तुति/टिप्पणी।
11- जिलाधिकारी की स्पष्ट संस्तुति/टिप्पणी।

शासन की पूर्व सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही सम्बन्धित खनन पट्टे का नवीनीकरण किया जायेगा।

कृपया उपरोक्त से सभी जिलाधिकारियों को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(डा0 गुरदीप सिंह)
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in